राष्ट्रीय कृषि विकास योजना : एक अध्ययन

राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बजट प्रवाह का अध्ययन

(Budget Tracking Study of Rashtriya Krishi Vikas Yojana in Rajasthan)

महेन्द्र सिंह राव

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना : एक अध्ययन

(राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बजट प्रवाह का अध्ययन)

(Budget Tracking Study of Rashtriya Krishi Vikas Yojana in Rajasthan)

महेन्द्र सिंह राव

Budget Analysis Rajasthan Centre

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)

फोन/फैक्स : 0141 2385254 ई–मेल : info@barcjaipur.org

वेबसाईट : www.barcjaipur.org

अध्ययन अथवा शोध उद्देश्य हेतु इस किताब के तथ्य एवं आंकड़े किताब के संदर्भ के साथ उपयोग किये जाने योग्य।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ©

प्रथम संस्करण नवम्बर 2013

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

मुद्रक : प्रिंट मिडिया सर्विसेज

निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर – 302012

अनुक्रम

क्र. सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
	अनुक्रम	II
	तालिका एवं चार्ट (रुपरेखा) सूची	III
	संक्षिप्त शब्द	IV
	प्रस्तावना	V
1.	भूमिका	1-2
2.	राजस्थान में कृषि की स्थिति • राज्य में कृषि की स्थिति • अलवर एवं झुंझुनु में कृषि की स्थिति	3-6
3.	अध्ययन का क्षेत्र एवं प्रविधि	7
4.	राज्य में आर.के.वी.वाई. की आयोजना, बजटिंग, क्रियांवयन एवं निगरानी	8-12
5.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बजट एवं व्यय की प्रवृत्तियां	13-15
6.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बजट व्यय का गुणात्मक आंकलन	16-17
7.	निष्कर्ष एवं सुझाव	18-19
8.	संदर्भ सूची	20
9.	अनुलग्नक	21-27

तालिका एवं चार्ट (रुपरेखा) की सूची

क्र. सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	फसल प्रारुप : वर्ष (2008–09) (क्षेत्र– हैक्टेयर में) (उत्पादन टन में)	3
2	राजस्थान में भूमि उपयोग (2008–09) (क्षेत्र– हैक्टेयर में)	4
3	राजस्थान में भूमि उपयोग (2008–09) (क्षेत्र– हैक्टेयर में)	5
4	जिलेवार सकल सिंचित क्षेत्र (2008–09) (क्षेत्र– हैक्टेयर में)	5
5	योजना के तहत मांग/आयोजना निर्माण, इसकी प्रस्तुति एवं मंजूरी की प्रक्रिया की रुपरेखा	9
6	आर.के.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत जिला कृषि योजना एवं राज्य कृषि योजना का निर्माण एवं मंजूरी की रुपरेखा	10
7	राज्य में आर.के.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत बजट के प्रवाह की रुपरेखा	11
8	राज्य में आर.के.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत बजट के प्रवाह एवं लाभांवितों के आवेदन की प्रक्रिया की रुपरेखा	12
9	11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर.के.वी.वाई. योजना का प्रस्तावित बजट (राशि करोड़ में)	13
10	राज्य में 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर.के.वी.वाई. योजना का वर्षवार प्रस्तावित बजट एवं व्यय (राशि करोड़ में)	13-14
11	अलवर में आर.के.वी.वाई. योजना हेतु अनुमोदित, आवंटित एवं व्यय की गयी राशि (लाख में)	14
12	झुंझुनु में आर.के.वी.वाई. योजना हेतु अनुमोदित, आवंटित एवं व्यय की गयी राशि (लाख में)	15
	अनुलग्नक	
13	राजस्थान में आर. के. वी. वाई. के बजट व्यय में विभिन्न विभागों का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2010–11 से 2012–13	21

14	अलवर जिले का त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन (राशि–लाख में)	22
15	झुंझुनु जिले का मासिक वित्तीय प्रतिवेदन, 2010–11 (राशि–लाख में)	22
16	झुंझुनु जिले का मासिक वित्तीय प्रतिवेदन, 2011–12 (राशि–लाख में)	23
17	झुंझुनु जिले का मासिक वित्तीय प्रतिवेदन, 2012–13 (राशि–लाख में)	23-24
18	अलवर जिले में आर.के.वी.वाई. योजना में संघटकवार बजट आवंटन एवं व्यय	24-25
19	झुंझुनु जिले में आर.के.वी.वाई. योजना में संघटकवार बजट आवंटन एवं व्यय	25
20	अलवर जिले में आर.के.वी.वाई. योजना की भौतिक प्रगति (2010–11 से 2012–13)	26-27
21	झुंझुनु जिले में आर.के.वी.वाई. योजना की भौतिक प्रगति (2010–11 से 2012–13)	27

संक्षिप्त शब्द

आर.के.वी.वाई.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
सी–डेप / डी.ए.पी.	विस्तृत–जिला कृषि योजना
एसएपी / सेप	राज्य कृषि योजना
एफ. जी. डी.	अध्ययन केन्द्रीत समूह चर्चा
एन.जी.ओ.	स्वयं सेवी संस्थाएं
एसएलएससी	राज्य स्तरीय मंजूरी समिति
आर.एस.ए.एम.बी.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एम.पी.यू.ए.टी.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय
आर.ए.यू	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय
आर.यू.वी.ए.एस.	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
आर.ए.डी.पी.	वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम
ए.एफ.डी.पी.	त्वरित चारा विकास कार्यक्रम
इनसीम्प	पोषण सुरक्षा के लिए सघन कदन्न (मोटे अनाज) संवर्द्धन योजना
एमपीआर	मासिक प्रगति प्रतिवेदन
एपीआर	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

प्रस्तावना

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नामक एक नई केन्द्र प्रवर्तित योजना आरंभ किया। इस योजना को राज्य सरकारों द्वारा राज्य आयोजना के तौर पर लागू किया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिये कृषि विभाग द्वारा अलग से आयोजना बनाई गई थी।

आर.के.वी.वाई. एक वृहद् योजना है जो राज्य के कृषि एवं पशुपालन सहित कई विभागों द्वारा संचालित की जा रही है। इसके लिये विशेष रूप बनाए गये जिला एवं राज्य स्तरीय योजना निर्माण के लिये एक "निम्न से उच्च स्तर" की आयोजना प्रकिया की संकल्पना की गई है। इसके अंर्तगत पहले पंचायत स्तर, फिर पंचायत समिति (ब्लॉक पंचायत) तथा जिला स्तर पर आयोजना बनाने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये। परन्तु राज्य में आर.के.वी.वाई. के लिये 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला कृषि आयोजना बनाने के लिये ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

कुल मिलाकर पिछले 5–6 वर्षों में आर.के.वी.वाई. की आयोजना एवं इसका क्रियांवयन "निम्न से उच्चस्तर" की नहीं हो कर "उच्चस्तर से निम्न स्तर" की ओर ही हुई।

इस बड़ी एवं महत्वाकांक्षी योजना के कियांवयन के स्तर पर होने वाली समस्याओं को समझने के लिये बार्क ने अलवर तथा झुंझुनु जिलों में एक अध्ययन किया है। यह अध्ययन देश के कई राज्यों में पिपुल्स बजट इनीशिएटिव नामक नेटवर्क द्वारा विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रमों के क्रियांवयन में आ रही समस्याओं को समझने के लिये किये गये एक अध्ययन का हिस्सा है। ये सभी अध्ययन ''व्हाट एल्स युटीलाइजेशन ऑफ फण्ड्स इन डेवेलपमेंट स्कीम्स'' शीर्षक एक रिर्पोट में प्रकाशित किये गये हैं।

बार्क ने इस पुस्तिका में राजस्थान के अलवर एवं झुंझुनु में आर.के.वी.वाई. पर किये अध्ययन को प्रकाशित किया है। इस अध्ययन में हमारी सहयोगी संस्थाएं– अलवर में सोहार्द तथा झुंझुनु में झुंझुनु जिला पर्यावरण सुधार समिति के सहयोग के बिना यह अध्ययन काफी कठ़ीन होता। हम इन दोनों सस्थाओं का आभार व्यक्त करते हैं।

साथ ही राज्य सरकार के कृषि विभाग एवं कृषि निदेशालय तथा जिला एवं उप–जिला स्तरीय कृषि विभागों के अधिकारीयों ने समय निकाल कर इस अध्ययन में सहयोग किया जिसके लिये हम उनके आभारी हैं।

पीपुल्स बजट इनीशियेटिव द्वारा किये गये आर्थिक सहयेाग तथा अध्ययन के दौरान दिल्ली स्थित "सेंटर फॉर बजट एण्ड गर्वेनेंस अकॉउटेंब्लीटी" के साथियों नीलाचल आचार्य तथा सुब्रत दास द्वारा किये गये सहयोग के भी हम आभारी हैं।

अंत में इस अध्ययन में शामिल अलवर तथा झुंझुनु जिले के किसानों– महिलाओं एवं पुरूषों ने अपना समय निकालकर समूह चर्चा में हिस्सा लिया तथा हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया जिसके बिना यह अध्ययन अधुरा होता। इसके लिये हम उन किसानों को धन्यवाद करते हैं।

हमें आशा है कि आर.के.वी.आई. के अध्ययन पर आधारित यह पुस्तिका राज्य में आर.के.वी.वाई. के बेहतर क्रियावंयन में सहयोग करेगी।

धन्यवाद

नेसार अहमद

1. भूमिका

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना : एक परिचय

भारत में आर्थिक वृद्धि की तीव्र एवं ऊंची दर प्राप्त करने हेतु वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीतियां अपनाई गयी। उसके बाद देश के सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि, जो वैश्वीकरण के प्रारंभिक वर्षों में 6 प्रतिशत थी, बाद के वर्षों में बढ़कर 8 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। लेकिन इसके विपरीत कृषि क्षेत्र में बहुत ही धीमी विकास दर होने के साथ देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा लगातार कम हो रहा है। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभिक वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा करीब 30 प्रतिशत था जो कम होकर विगत कुछ वर्षों में करीब 14 प्रतिशत रह गया है। कृषि क्षेत्र में धीमी विकास दर का प्रमुख कारण इसमें सरकारी निवेश का लगातार कम रहना है। इसके अलावा इस क्षेत्र में निजी निवेश का अभाव रहना है। इसके बावजूद देश की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी अपनी आजीविका हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर आश्रित है। उदारीकरण के बाद से ही देश की सरकारों का कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत से अधिक की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रहा है। लेकिन वास्तविक वृद्धि लक्ष्य से काफी कम रही है।

अतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि दर बढ़ाने एवं इसके विकास के लिये राष्ट्रीय विकास परिषद ने वर्ष 2007 में एक विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) शुरु करने का सुझाव दिया। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने योजना आयोग की सलाह में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये दिशा निर्देश तैयार किया। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष, 2007–08 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरु की गयी।

योजना के प्रमुख उद्देश्य :

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में [1] कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना था। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः

- कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने को प्रोत्साहित करना।
- कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की योजनाओं के निर्माण एवं क्रियांवयन में राज्यों को स्वतंत्रता देना।
- कृषि हेतु उपलब्ध जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक एवं तकनीकी संसाधनों आदि के आधार पर जिलों एवं राज्य स्तर की योजनाओं का निर्माण करना।
- राज्य की कृषि योजनाओं में कृषि क्षेत्र की स्थानीय एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं का समावेश करना।

[1] योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी चल रही है।

- राज्य की मुख्य फसलों में उत्पादन अन्तराल को कम करने हेतु विशेष प्रयास करना।
- कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में किसानों की आय में वृद्धि करना।
- कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक एवं मात्रात्मक बदलाव एवं बढ़ोत्तरी लाना।

योजना का क्षेत्र :

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्य योजना का एक हिस्सा है। राजस्थान में आर.के.वी.वाई. योजना का कवरेज क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य अर्थात् 33 जिले हैं। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3.42 करोड़ हैक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4 प्रतिशत है।

राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियांवयन हेतु राज्य का कृषि विभाग नोडल विभाग है। कृषि विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा विस्तृत–जिला कृषि योजनाओं का निर्माण किया गया। उस समय राज्य में 32 जिलों [2] ने अपने जिले हेतु जिला कृषि योजनाएं (सी–डेप) बनाई। विस्तृत–जिला कृषि आयोजनाओं (सी–डेप) के आधार पर कृषि विभाग ने राज्य कृषि आयोजना बनाई, जिसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करना लक्षित किया गया।

राज्य में कुल 13 विभागों/संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संचालित की जा रही है। जिसमें कृषि, वन, पशुपालन, उद्यान, सहकारिता, मछली पालन, जल संसाधन विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं राज्य के कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं।

राजस्थान में जिला स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बजट प्रवाह की व्यवस्था को समझने हेतु दो जिलो (अलवर एवं झुंझुनु) का चयन किया गया। जिसमें अलवर कृषि के लिहाज से अच्छा है जबकि झुंझुनु वर्षा आधारित एवं निम्न कृषि सूचकांक वाला जिला है। राज्य एवं चुने हुये जिलों का कृषि प्रारुप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के कार्यक्षेत्र को प्रभावित करता है। इसलिये आर.के.वी.वाई. बजट खर्च/उपयोग को बढ़ाने हेतु क्षेत्र में कृषि की स्थिति एवं स्वरुप को समझना आवश्यक है।

[2] पहले राज्य में कुल 32 जिले थे। बाद में 2008 में प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया।

2. राजस्थान में कृषि स्थिति

राज्य में कृषि की स्थिति :

राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या (करीब 70 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, पशुपालन एवं वानिकी आदि आजीविका के मुख्य स्रोत हैं। राज्य में कृषि जोतों का औसत आकार 3.38 हैक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत 1.23 हैक्टेयर से अधिक है। राज्य में कृषि हेतु उपलब्ध भूमि 175 लाख हैक्टेयर है, जो कुल क्षेत्र की करीब 51 प्रतिशत है। दुपज [3] क्षेत्र 52 लाख हैक्टेयर है अतः राज्य में फसलीय सघनता 130 प्रतिशत है।

राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक भूस्वामी लघु एवं सीमांत (जिनके पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि है) प्रकार के हैं, जिनके पास राज्य की कुल भूमि का मात्र 14 प्रतिशत है। दूसरी ओर राज्य में बड़े किसानों (जिनके पास 10 हैक्टेयर से अधिक भूमि है) के पास राज्य की कुल भूमि की करीब 37 प्रतिशत भूमि है। अतः राज्य में वृहद स्तर पर भूमि का असमान वितरण है। राज्य की कुल भूमि का मात्र 35 से 38 प्रतिशत ही सिंचित है, जबकि करीब 62 से 65 प्रतिशत भूमि असिंचित है एवं कृषि हेतु वर्षा पर निर्भर है। राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र करीब 62 लाख हैक्टेयर है, जो राज्य के कुल बुवाई क्षेत्र का 36 प्रतिशत है।

राज्य में देश के सतही जल का मात्र 1 प्रतिशत है एवं राज्य में अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर है जबकि यहां वर्षा बहुत ही कम एवं अनियमित रहती है। राज्य में विगत 5–6 वर्षों में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र का हिस्सा लगातार कम हो रहा है। वर्ष 2004–05 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 25.62 प्रतिशत था, जो 2009–10 में कम होकर 19.82 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा राज्य का उत्तर पश्चिमी हिस्सा मरुस्थल है, जिसमें राज्य का करीब 61 प्रतिशत क्षेत्र आता है। संपूर्ण राज्य को 10 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है।

अलवर एवं झुंझुनु जिले में कृषि की स्थिति :

1.अलवर : अलवर जिला राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है, जो राज्य के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र में आता है। कृषि एवं पशुपालन यहां पर आजीविका के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। जिले में औसत वार्षिक वर्षा करीब 65.73 सेमी. होती है, जो राज्य की औसत वर्षा 57.51 सेमी. से अधिक है।

2.झुंझुनु : झुंझुनु राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। यह राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में आता है। जिले में करीब 77.1 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है, जो राज्य की औसत ग्रामीण जनसंख्या से अधिक है।

[3] एक से अधिक बार बोया जाने वाला क्षेत्र

तालिका– 2.1

फसल प्रारुप : वर्ष (2008–09)

(क्षेत्र– हैक्टेयर में) (उत्पादन टन में)

वस्तुएं	सूचक	राजस्थान	अलवर	झुंझुनु
अनाज	क्षेत्र संशोधित	9567854	445321	362567
	उत्पादन संशोधित	14867594	1157305	617289
दालें	क्षेत्र संशोधित	3671248	16779	119153
	उत्पादन संशोधित	1826257	20390	109133
कुल खाद्यान्न	क्षेत्र	13239102	462100	481720
	उत्पादन	16693851	1177695	726422
कुल तिलहन	क्षेत्र	4664301	275534	85574
	उत्पादन	5200635	451572	121972
गन्ना	क्षेत्र संशोधित	6526	75	0
	उत्पादन संशोधित	387814	3801	0
कपास	क्षेत्र संशोधित	302687	2372	17
	उत्पादन संशोधित	123424	949	7

स्रोत : स्टेटिस्टीकल एब्स्ट्रेक्ट, राजस्थान, 2011

तालिका 2.1 के अनुसार दालों को छोड़कर अलवर सभी प्रकार की खाद्यान्न एवं वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में अच्छा है। जबकि झुंझुनु, अलवर एवं राज्य के औसत पैदावार की तुलना में सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिहाज से काफी पीछे है। इसके बावजूद झुंझुनु में अनाज एवं दालों का अच्छा उत्पादन होता है। अतः झुंझुनु जिले में वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन नगण्य होता है। अलवर जिले में सिंचाई सुविधाओं एवं वर्षा अच्छी होने के कारण पैदावार अच्छी होती है। वहीं झुंझुनु जिले में सिंचाई सुविधाओं के अभाव के साथ अकाल तथा कम वर्षा होने के कारण पैदावार बहुत ही कम होती है।

तालिका 2.2

राजस्थान में भूमि उपयोग (2008–09)

(क्षेत्र– हैक्टेयर में)

मद		अलवर	झुंझुनु	राज्य औसत
कुल क्षेत्र		783315	591536	34269886
वन		79574	39680	2727944
कृषि लायक नहीं	गैर कृषि उपयोग वाली भूमि	45952	22321	1970058
	बैरन एवं गैर कृषिगत भूमि	83684	15460	2295083
अन्य गैर कृषि भूमि	पड़ती भूमि एवं अन्य चरागाह	24156	39470	1698800
	विभिन्न प्रकार की वन एवं उपवन फसलों की भूमि	154	55	17684

स्रोत : स्टेटिस्टीकल एब्स्ट्रेक्ट, राजस्थान, 2011

तालिका 2.2 में दर्शाये गये आंकड़ों के अनुसार झुंझुनु जिले में करीब 5.91 लाख हैक्टेयर उपयोगी भूमि है, जबकि अलवर जिले में करीब 7.8 लाख हैक्टेयर भूमि उपयोगी है। इसी प्रकार, अलवर जिले में वन क्षेत्र झुंझुनु की तुलना में दुगुने से अधिक है।

तालिका 2.3

राजस्थान में भूमि उपयोग (2008–09)

(क्षेत्र– हैक्टेयर में)

मद		अलवर	झुंझुनु	राज्य औसत
परती भूमि को छोड़कर अन्य भूमि	कृषिगत बंजर भूमि	7752	6671	4335845
	वर्तमान परती भूमि के अलावा अन्य परती भूमि	22498	24250	2107572
	वर्तमान परती भूमि	15496	22330	1565486
	शुद्ध बुवाई क्षेत्र	504049	421299	17551414
	कुल फसलीय क्षेत्र	809188	654987	22771259
	दुपज क्षेत्र	305139	233688	5219845

स्रोत : स्टेटिस्टीकल एब्स्ट्रेक्ट, राजस्थान, 2011

तालिका 2.3 के अनुसार अलवर जिले में कुल फसलीय क्षेत्र करीब 8.09 लाख हैक्टेयर है, जबकि झुंझुनु में करीब 6. 65 लाख हैक्टेयर है। इसी प्रकार अलवर जिले में दुपज क्षेत्र 3.05 लाख हैक्टेयर है, जो झुंझुनु के दुपज क्षेत्र 2.33 लाख हैक्टेयर से काफी अधिक है।

तालिका 2.4

जिलेवार सकल सिंचित क्षेत्र (2008–09)

(क्षेत्र– हैक्टेयर में)

क्र. सं.	जिला	सिंचित क्षेत्र के स्रोत				
		नहर	टैंक	कुएं	अन्य	कुल (सकल)
1.	अलवर	1666	51	453055	8	454780
2.	झुंझुनु	0	0	216080	0	216080
	राजस्थान (2008–09)	1583116	30565	4558657	72710	6245048

स्रोत : राजस्व बोर्ड (भू अभिलेख), 2008–09

तालिका 2.4 में अलवर एवं झुंझुनु जिले का स्रोतवार सिंचित क्षेत्र दर्शाया गया है। अलवर जिले में करीब 4.54 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित क्षेत्र में आता है जबकि झुंझुनु में केवल करीब 2.16 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है। इस प्रकार झुंझुनु में अलवर के मुकाबले आधे से भी कम सिंचित क्षेत्र है। दोनो जिलों के स्रोतवार सिंचित क्षेत्र के आंकड़ों

पर गौर किया जाये तो झुंझुनु में सिंचित भूमि की 100 प्रतिशत भूमि कुओं से सिंचित है, जो सिंचाई हेतु एकमात्र भूमिगत जल पर निर्भरता को दर्शाता है। अलवर जिले में कुछ सिंचाई टैंक, नहर एवं अन्य स्रोतों से की जाती है जबकि झुंझुनु में इन स्रोतों की भूमिका नगण्य है।

उत्पाद एवं प्रदान की जाने वाली सेवाएं :

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं एवं उत्पाद निम्नलिखित हैं :

(1) मुख्य खाद्यान्न फसलों का समन्वित विकास।

(2) कृषि यंत्रीकरण।

(3) मृदा स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित गतिविधियां।

(4) जल ग्रहण क्षेत्रों में तथा बाह्य वर्षा आधारित कृषि प्रणालियों के विकास, जल ग्रहण क्षेत्रों, बंजर भूमि, नदी घाटी क्षेत्रों का समन्वित विकास।

(5) राज्य बीज क्षेत्रों को सहायता।

(6) एकीकृत कीट प्रबंधन।

(7) गैर कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन।

(8) बाजार के बुनियादी ढ़ांचे के विकास एवं विपणन सुविधाओं का विकास

(9) विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी ढ़ांचे को सुदृढ करना।

(10) बागवानी फसलों के उत्पादन की गतिविधियों एवं सुक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को लोकप्रिय बनाना।

(11) पशुपालन एवं मत्स्य विकास से संबंधित गतिविधियां।

(12) भूमि सुधार के लाभांवितों हेतु विशेष योजनाएं।

(13) समापन परियोजनाओं के लिये अवधारणा कार्यक्रम।

(14) कृषि/बागवानी को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार की संस्थाओं को सहायता एवं अनुदान।

(15) किसानों के अध्ययन पर्यटन।

(16) कार्बनिक एवं जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना।

(17) नवाचार योजनाएं।

3. अध्ययन का क्षेत्र एवं प्रविधि

3.1 अध्ययन क्षेत्र

यह अध्ययन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य से ग्राम पंचायत तक (प्रत्येक प्रशासनिक स्तर तक) बजट प्रवाह पर आधारित है। राज्य में अध्ययन हेतु दो जिलों (अलवर एवं झुंझुन) का चयन किया गया, जिसमें अलवर कृषि के लिहाज से अच्छा है जबकि झुंझुंनु वर्षा आधारित एवं निम्न कृषि सूचकांक वाला जिला है। प्रस्तुत अध्ययन को जिला स्तर पर केवल कृषि विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यक्रमों तक ही सीमित रखा गया है।

3.2 अध्ययन प्रविधि

अध्ययन में आंकड़ों के संकलन हेतु शामिल किये गये उपकरणः

(अ) डेटाशीट (चार स्तर के लिये) : अध्ययन हेतु चार स्तरों राज्य, जिला, उपजिला एवं ग्राम पंचायत हेतु डेटाशीट बनाई गयी। परंतु डेटाशीट केवल राज्य एवं जिला स्तर तक ही भरी जा सकी क्योंकि योजना के बजट एवं व्यय से संबंधित आंकड़े केवल राज्य एवं जिला स्तर तक ही उपलब्ध होते हैं।

(ब) प्रश्नावली (सभी स्तर पर अधिकारियों के लिये) : योजना के संबंध में गुणात्मक तथ्यों की जानकारी हेतु चार स्तरों राज्य, जिला, उपजिला एवं ग्राम पंचायत हेतु प्रश्नावली बनाई गयी। जिसमें तीन प्रश्नावली अलवर जिले से एवं सात झुंझुनु जिले से भरी गयी।

(स) लाभांवित के साथ एफ.जी.डी. (अध्ययन केन्द्रीत समूह चर्चा) : जमीनी स्तर पर योजना के क्रियांवयन के संबंध में जानकारी हेतु दो एफ.जी.डी. (अध्ययन केन्द्रीत समूह चर्चा) आयोजित किये गये, जिसमें एक अलवर जिले में दूसरा झुंझुनु जिले में था।

4. राज्य में आर.के.वी.वाई. की आयोजना, बजटिंग, क्रियांवयन एवं निगरानी

आर.के.वी.वाई. की आयोजना, बजटिंग, क्रियांवयन एवं निगरानी हेतु संस्थाएं/विभाग :

राज्य में आर.के.वी.वाई. की आयोजना, बजटिंग, क्रियांवयन एवं निगरानी हेतु जिम्मेवार विभाग निम्नलिखित है :

- कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार।
- योजना आयोग, भारत सरकार।
- कृषि विभाग, राजस्थान सरकार।
- संबद्ध विभाग (1. उद्यान विभाग, 2. पशुपालन, 3. डेयरी विकास, 4. मत्स्य, 5. सहकारिता, 6. लघु सिंचाई, 7. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 8. राज्य के कृषि विश्वविद्यालय।
- जिला परिषद एवं जिला स्तर पर सामान्य प्रशासन।
- राज्य आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार।
- जिला स्तर पर कृषि एवं संबद्ध विभाग।
- उप जिला स्तर पर कृषि एवं संबद्ध विभाग।

योजना के अन्तर्गत मांग/आयोजना निर्माण, इनकी प्रस्तुती एवं मंजूरी की प्रक्रिया :

चार्ट 4.1 में आर.के.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत मांग/आयोजना निर्माण, इनकी प्रस्तुती एवं मंजूरी की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। आदर्शतः एवं दिशा निर्देशों के अनुसार आर.के.वी.वाई. योजना के तहत कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया ग्राम पंचायत से शुरु की जानी चाहिये। अतः ग्राम पंचायत से योजना बनाकर इसे पंचायत समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

लेकिन राज्य में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर आर.के.वी.वाई. योजना के परियोजना निर्माण की प्रक्रिया व्यवहार में नहीं है। सामान्यतः राज्य में जिला स्तर पर ही आर.के.वी.वाई. के तहत योजनाएं बनाकर एवं मंजूर होने के बाद राज्य को प्रेषित की जाती हैं।

योजना में मांग एवं परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पूरे राज्य के लिये राज्य कृषि योजना (एस.ए.पी.) एवं जिला कृषि योजना (डी.ए.पी.) के आधार पर दर्शाया गयी है। जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) का एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु राज्य कृषि योजना (एस.ए.पी.) एवं जिला कृषि योजनाएं (डी.ए.पी.) नहीं बन पाये हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु राज्य एवं जिला कृषि योजनाएं बनाई जा रही हैं।

चार्ट 4.1

योजना के तहत मांग/आयोजना निर्माण, इनकी प्रस्तुती एवं मंजूरी की प्रक्रिया की रुपरेखा :

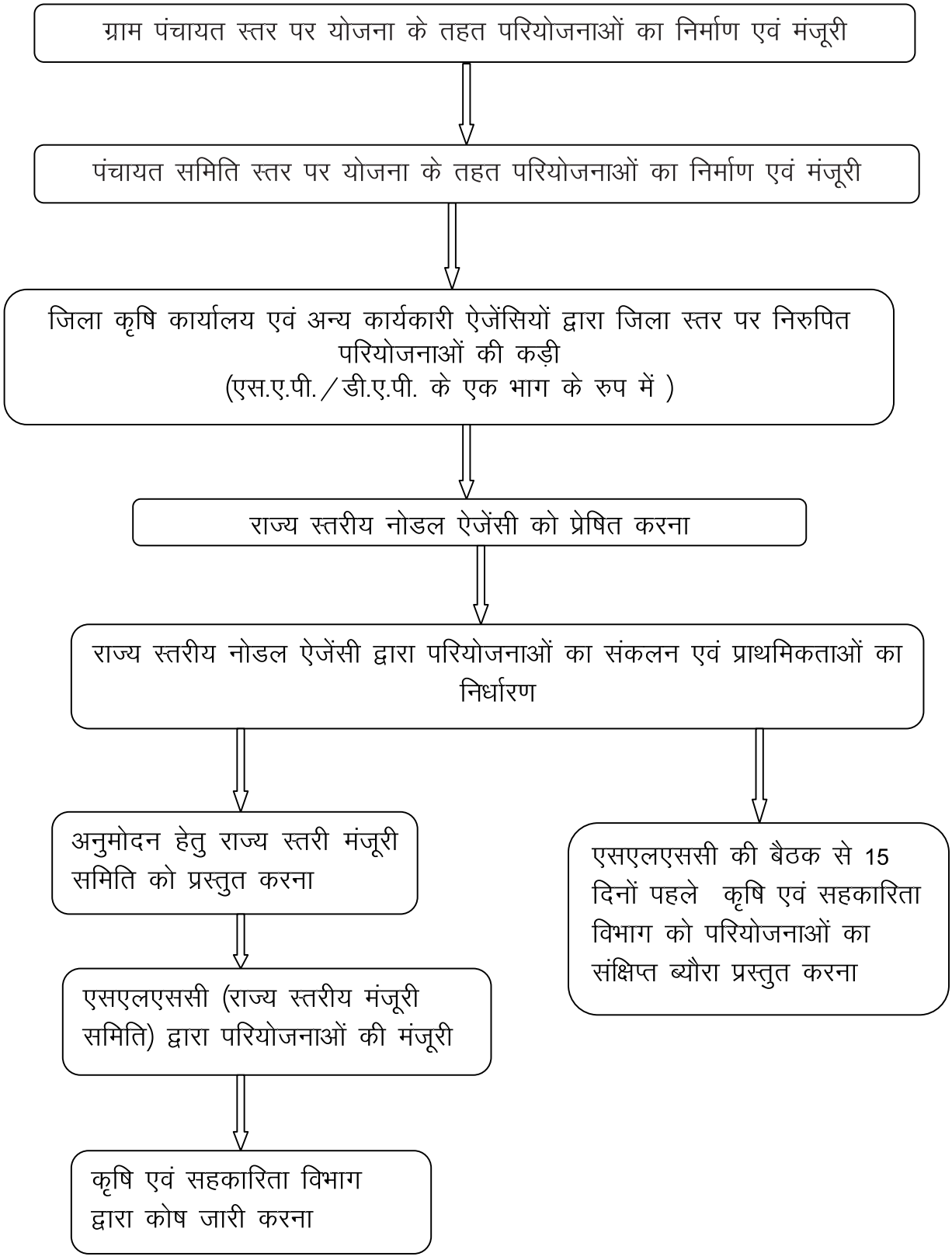

चार्ट 4.2

आर.के.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत जिला कृषि योजना एवं राज्य कृषि योजना का निर्माण एवं मंजूरी की रुपरेखा :

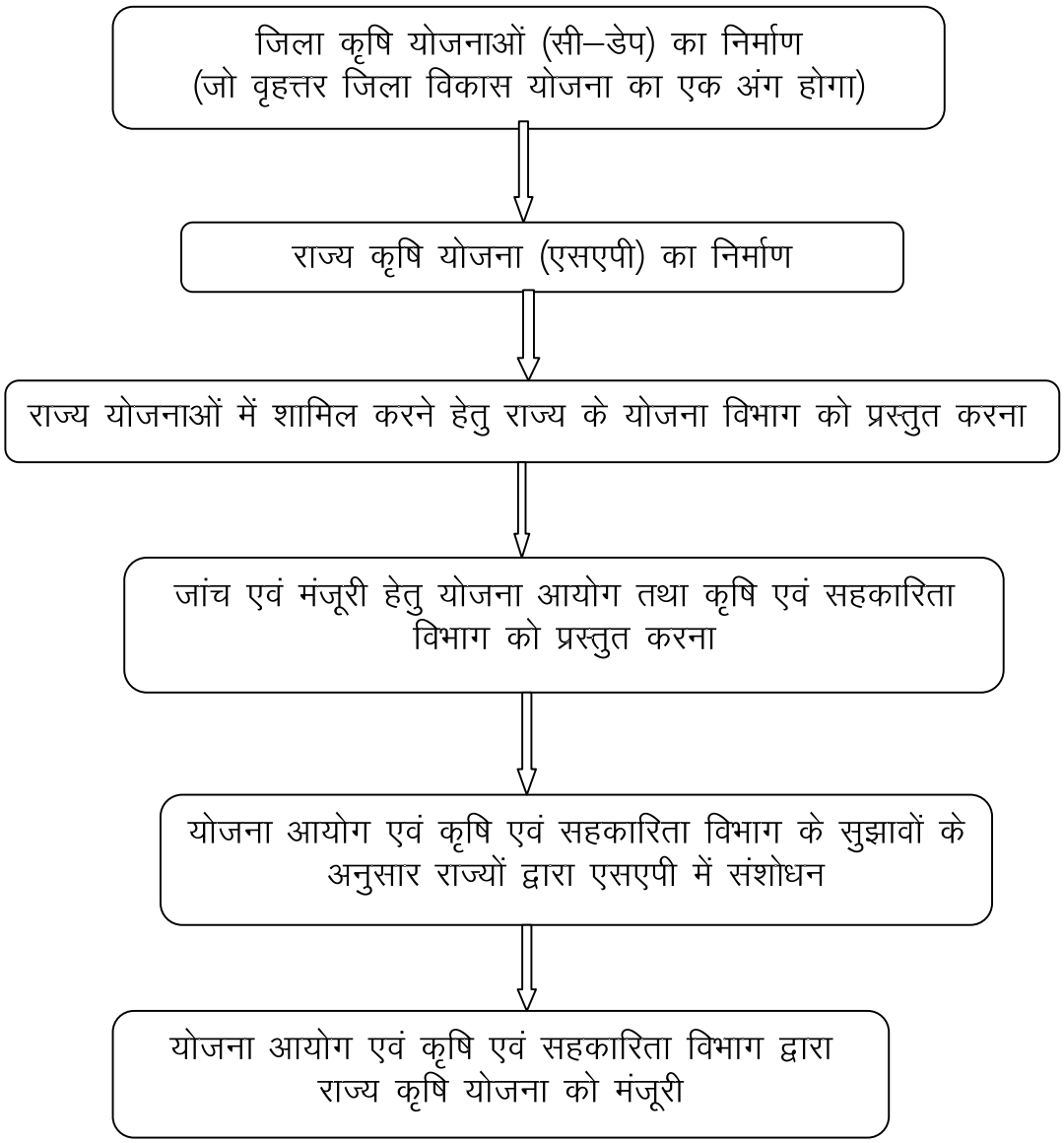

चार्ट 4. 3

राज्य में आर.के.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत बजट के प्रवाह की रुपरेखा

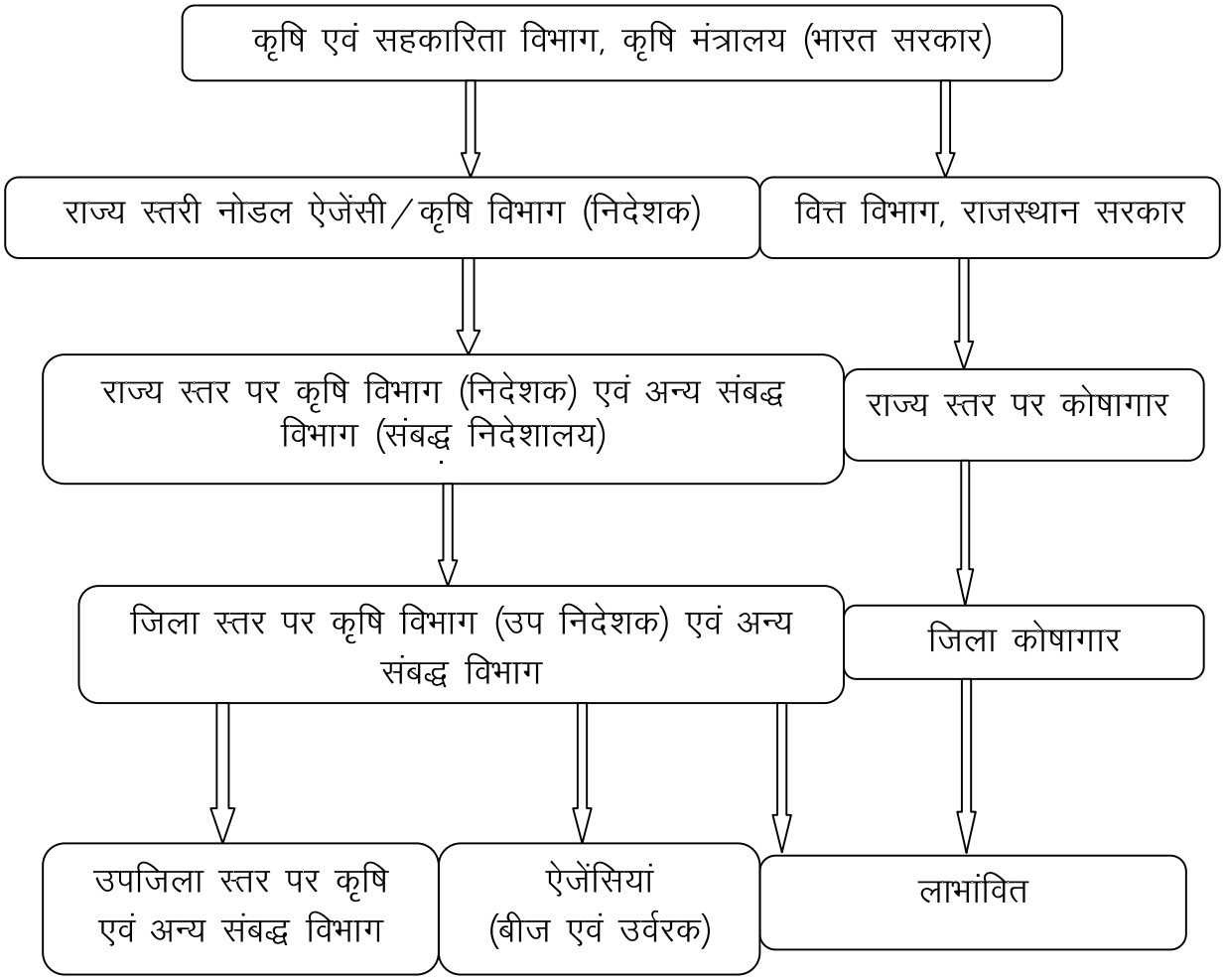

चार्ट 4.3 के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का बजट राज्य से जिला, जिला से लाभांवितों एवं निम्न स्तर पर अन्य ऐजेंसियों को कोषागार के माध्यम से हस्तांरित होता है। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु कृषि विभाग नोडल ऐजेंसी होती है। इसलिये केन्द्र सरकार आर.के.वी.वाई. का बजट राज्य की नोडल ऐजेंसी (कृषि विभाग) को हस्तांरित करता है। नोडल ऐजेंसी (कृषि विभाग) राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों जैसे– कृषि, पशुपालन, उद्यान, सहकारिता, मछली पालन, जल संसाधन विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय आदि को योजना की बजट राशि हस्तांरित करता है। राज्य स्तर के कृषि एवं संबद्ध विभाग जिला स्तर पर अपने संबंधित विभागों को राशि हस्तांतरित करते हैं। जिला स्तर पर कृषि एवं संबद्ध विभाग आर.के.वी.वाई. के विभिन्न कार्यक्रमों के लाभांवितों एवं ऐजेंसियों को राशि हस्तांतरित करते हैं। कुछ मामलों में आर.के.वी.वाई. का बजट राज्य स्तर से सीधा उपजिला स्तर के कार्यालय को हस्तांतरित किया जाता है, जैसे मृदा परिक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राज्य स्तर से राशि सीधी उपजिला कार्यालय को कोषागार के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। इसके अलावा पहले (वर्ष 2012–13 तक) उद्यान विभाग में आर.के.वी.वाई. योजना का बजट बैंक के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता था, लेकिन अब इस विभाग में भी आर.के.वी.वाई. योजना का बजट कोषागार के माध्यम से हस्तांतरित किया जा रहा है।

चार्ट 4.4

राज्य में आर.के.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत बजट के प्रवाह एवं लाभांवितों के आवेदन की प्रक्रिया की रुपरेखा :

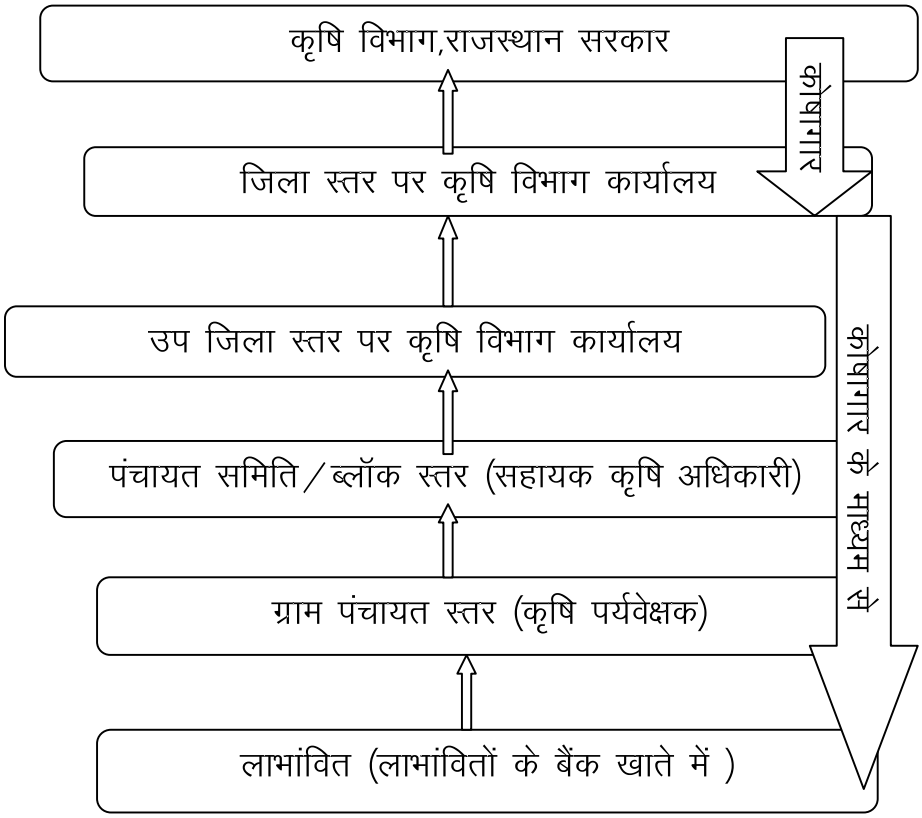

5. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बजट एवं व्यय की प्रवृत्तियां

आर.के.वी.वाई. के बजट, व्यय एवं उपयोग का आंकलन एवं सीमा

राज्य स्तर पर बजट व्यय एवं उपयोग :

जैसा कि पहले बताया गया कि आर.के.वी.वाई. योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 2007–08 में शुरु की गयी थी। वर्ष 2007–08 से 2012–13 की अवधि में, वर्ष दर वर्ष बहुत अधिक राशि खर्च नहीं हुई थी लेकिन वर्ष 2007–08 से 2012–13 की अवधि में व्यय का प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान राज्य में योजना के तहत उपलब्ध कुल बजट (आरंभिक आदिशेष [4] एवं जारी की गयी राशि का योग) की 80 से 90 प्रतिशत राशि व्यय की गयी। इसी समयावधि में राज्य को जारी किये गये बजट की 97 से 98 प्रतिशत राशि व्यय की गयी।

तालिका 5.1

11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर.के.वी.वाई. के लिये प्रस्तावित बजट (राशि करोड़ में)

11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित बजट (2007–08 से 2011–12)	11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी की गयी राशि (2007–08 से 2011–12)	11वीं पंचवर्षीय योजना में व्यय की गयी राशि (2007–08 से 2011–12)	12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित बजट (2012–13 से 2016–17)
1749.1	1795.7	1690.11	5196.5

स्रोत : आर.के.वी.वाई. प्रकोष्ठ, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार

तालिका 5.2

राज्य में 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर.के.वी.वाई. का वर्षवार प्रस्तावित बजट एवं व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	गत वर्ष का समायोजित किया गया वार्षिक आदिशेष	केन्द्र द्वारा जारी की गयी राशि	कुल उपलब्ध बजट	व्यय	आदिशेष (वित्तीय वर्ष के अन्त में बची राशि)	व्यय का कुल उपलब्ध बजट से प्रतिशत	व्यय का जारी किये गये बजट से प्रतिशत
2007–08	71.9	0.0	55.8	55.8	0.0	55.8	0.0	0.0
2008–09	233.8	55.8	233.8	289.5	175.9	113.7	60.7	75.2

[4] वित्तीय वर्ष के अन्त में बची राशि

2009–10	186.1	113.7	186.1	299.9	248.6	51.2	82.9	133.6
2010–11	628.0	51.24	628.0	679.3	615.3	64.0	90.6	98.0
2011–12	685.0	64.0	692.1	756.3	650.0	106.1	86.0	94.0
कुल 11वीं योजना में	1804.6	284.7	1795.7	2080.4	1689.6	390.8	81.2	94.1
2012–13	880.5	106.1	453.8	559.9	439.8	120.0	78.6	97.0

स्रोत : आर.के.वी.वाई. प्रकोष्ठ, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार

जैसा पहले बताया गया कि राज्य स्तर पर आर.के.वी.वाई. का बजट 13 विभागों को आवंटित किया जाता है। इसके अलावा आर.के.वी.वाई. की करीब 6 उपयोजनाएं कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। आर.के.वी.वाई. योजना का अधिकांश बजट कृषि विभाग को आवंटित किया जाता है एवं इसी विभाग द्वारा खर्च किया जाता है। वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान, आर.के.वी.वाई. के बजट की करीब 10 से 18 प्रतिशत राशि उद्यान विभाग को आवंटित की गयी। जबकि 13 से 17 प्रतिशत राशि सहकारी विभाग को आवंटित की गयी।

जिला स्तर (अलवर एवं झुंझुनु) पर बजट व्यय एवं उपयोग :

जिला स्तर पर आर.के.वी.वाई. की राशि के व्यय/उपयोग का आंकलन दर्शाता है कि विगत तीन वर्षों में योजना के तहत अलवर जिले को झुंझुनु की तुलना में बहुत कम आवंटन हुआ है (तालिका 5.3 एवं 5.4)। योजना के अंतर्गत वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि में हर वर्ष बहुत अधिक राशि खर्च नहीं हो पायी। बजट प्रावधान की मात्र 50 से 75 प्रतिशत राशि ही व्यय हो पायी। विगत तीन वर्षो में आवंटित राशि की लगभग 87 से 97 प्रतिशत राशि जिले में व्यय हो पायी।

तालिका 5.3

अलवर में आर.के.वी.वाई. योजना हेतु अनुमोदित, आवंटित एवं व्यय की गयी राशि (लाख में)

वर्ष	जिले हेतु अनुमोदित बजट	आवंटन	वास्तविक व्यय	अनुमोदित बजट से व्यय का प्रतिशत	आवंटित बजट से व्यय का प्रतिशत
2010–11	71.93	61.92	53.80	74.79	86.89
2011–12	165.08	90.40	84.36	50.79	93.32
2012–13	181.86	136.39	132.15	72.67	96.89

स्रोत : वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, उप निदेशक, जिला कृषि विभाग, अलवर, विभिन्न वर्ष

तालिका 5.4

झुंझुनु में आर.के.वी.वाई. योजना हेतु अनुमोदित, आवंटित एवं व्यय की गयी राशि (लाख में)

वर्ष	जिले हेतु अनुमोदित बजट	आवंटन	वास्तविक व्यय	अनुमोदित बजट से व्यय का प्रतिशत	आवंटित बजट से व्यय का प्रतिशत
2010–11	51.00	39.85	32.53	63.78	81.63
2011–12	470.47	424.46	402.06	85.46	94.72
2012–13	737.21	665.37	657.25	89.15	98.78

स्रोत : वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, उप निदेशक, जिला कृषि विभाग, झुंझुनु, विभिन्न वर्ष

झुंझुनु जिले में आर.के.वी.वाई. योजना के तहत वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 में बहुत अधिक राशि खर्च नहीं हो पाई। वर्ष 2012–13 में अनुमोदित बजट की करीब 63 से 89 प्रतिशत राशि ही व्यय हो पाई। इस प्रकार विगत तीन वर्षों में जिले को योजना के तहत जारी की गयी राशि की करीब 81 से 98 प्रतिशत राशि व्यय हुई है।

6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बजट व्यय का गुणात्मक आंकलन

6.1 आर.के.वी.वाई. योजना के बजट व्यय की प्रवृत्ति : वित्तीय वर्ष (2010–11 से 2012–13)

आर.के.वी.वाई. योजना के बजट व्यय की प्रवृत्ति का त्रैमासिक आंकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश व्यय वर्ष के अंतिम 3 महिनों (त्रैमास) में होता है। विगत दो वर्षों (2011–12 एवं 2012–13) में जून (प्रथम त्रैमास) तक एक भी रुपया व्यय नहीं हो पाया, जबकि वर्ष 2010–11 में बहुत ही कम राशि जून माह तक व्यय हो पायी। वर्ष के प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास में बहुत ही कम व्यय होने के प्रमुख कारण योजना के लाभांवितों के चयन की धीमी प्रक्रिया, जिले को बजट एवं लक्ष्यों का देरी से आवंटित होना आदि हैं।

अनुलग्नक तालिकाओं में विगत तीनों वर्षों 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एम.पी. आर.) के आधार पर आंकड़े दर्शाये गये हैं। जो दर्शाते हैं कि झुंझुनु जिले में योजना के अन्तर्गत जुलाई तक एक भी रुपया व्यय नहीं हुआ। तीनो वित्तीय वर्षों का अधिकांश व्यय वर्ष के अंतिम त्रैमास में हुआ है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिले को बजट एवं लक्ष्यों का देरी से आवंटित होना एवं योजना के लाभांवितों के चयन की धीमी प्रक्रिया आदि धीमी प्रगति के प्रमुख कारण हैं।

6.2 आर.के.वी.वाई. योजना के बजट की विभिन्न संघटकों में व्यय की प्रवृत्ति :

अलवर एवं झुंझुनु जिलों में आर.के.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत बजट की विभिन्न संघटकों के अनुसार व्यय की प्रवृत्ति दर्शाती है कि सीधे लाभ वाले कार्यक्रमों, जिनमें लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया लंबी होती है, उनमें व्यय बहुत ही कम एवं धीमा रहता है। खेत तलाई (फार्म पोंड), जल हौज (वॉटर टैंक) आदि सीधे लाभ वाले कार्यक्रम हैं। इसके विपरीत ऐसे कार्यक्रम जिनमें लाभांवितों का चयन आसानी से हो जाता है, जैसे गुण नियंत्रण के लिये सामग्री वितरण एवं जिप्सम वितरण आदि में खर्च तुलनात्मक रुप से अच्छा है।

उसी तरह, अनुलग्नक तालिकाओं में दर्शाये गये आंकड़ों पर गौर करें तो अलवर जिले में भौतिक प्रगति बहुत ही कम देखने में आई। वर्ष 2010–11 में आर.के.वी.वाई. की सकल भौतिक प्रगति करीब 22 प्रतिशत एवं 2011–12 में करीब 37 प्रतिशत थी। इसके बाद सकल भौतिक प्रगति 2012–13 में बढ़कर करीब 91.53 प्रतिशत हो गयी, यह बढ़त मुख्यतः जिले को आवंटित लक्ष्यों में कमी करने के कारण हुई। वहीं झुंझुनु जिले में कुछ चुने हुये कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति बहुत अधिक रही, जिसका प्रमुख कारण जिप्सम वितरण कार्यक्रम में प्रगति (प्राप्ति) लक्ष्यों से अधिक

रही। वर्ष 2010–11 में भौतिक प्रगति करीब 28 प्रतिशत रही। जबकि वर्ष 2012–13 में भौतिक प्रगति बढ़कर 96 प्रतिशत हो गयी।

6.3. अध्ययन से प्राप्त अतिरिक्त परिज्ञान

अध्ययन हेतु अलवर एवं झुंझुनु जिलों के आंकड़ों के संग्रहण के दौरान यह पाया गया कि आर.के.वी.वाई. के बजट का प्रवाह राज्य से जिला स्तर तक, राज्य कोषागार के माध्यम से होता है। इसलिये योजना के अन्तर्गत अनुमोदित बजट, बजट आवंटन एवं व्यय से जुड़े वित्तीय आंकड़े मात्र जिला स्तर तक ही उपलब्ध होते हैं। जबकि उपजिला स्तर एवं निम्न स्तर पर योजना के वित्तीय आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। जिला स्तर के विभागों द्वारा उप जिला एवं निम्न स्तर के कार्यालयों को मात्र योजना के भौतिक लक्ष्य ही प्रदान किये जाते हैं। जिला स्तर से कोषागार के माध्यम से योजना की राशि सीधे लाभांवितों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसलिये योजना से संबंधित वित्तीय आंकड़े जिला स्तर तक ही उपलब्ध रहते हैं।

जिला स्तर पर योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में जिलों को आवंटित किश्तों की जानकारी अप्रासंगिक है। क्योंकि आर.के.वी.वाई. योजना के अंतर्गत जिलों को करीब 300 किश्तों में राशि आवंटित की गयी (वित्तीय वर्ष 2012–13) एवं यह राशि योजना के विभिन्न संघटकों में अलग–अलग आवंटित की जाती है। यदि किसी योजना में आवंटित राशि व्यय नहीं की जा सकी तो उसको अन्य योजना में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

6.4. योजना के बजट के व्यय/उपयोग के विस्तार व गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक

आर.के.वी.वाई. योजना के बहुत से कार्यक्रमों में जिला एवं निम्न स्तर पर समाज के वंचित वर्गों जैसे आदिवासियों एवं दलितों को लाभांवित करने के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं हैं।

योजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार विभाग में जिला, उपजिला एवं निम्न स्तर पर अपर्याप्त स्टाफ एवं कमजोर ढांचागत सुविधाओं संबंधी अनेक समस्याएं हैं। इसके अलावा विगत 5–6 वर्षों में राज्य एवं केन्द्र स्तर पर बहुत सी नई योजनाओं के शुरु होने से कार्यभार काफी बढ़ा है, जबकि उसी अनुरुप स्टाफ नहीं बढ़ा है। अध्ययन के दौरान योजना से जुड़े अधिकारियों ने यह बताया कि जिला एवं निम्न स्तर पर विभिन्न सेवाओं का समन्वय बहुत कमजोर है साथ ही विभाग के कुछ अधिकारियों के अनुसार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन में राजनीतिक हस्तक्षेप एक अन्य समस्या है, जो पंचायतीराज संस्थाओं को अधिकार प्रदान करने के कारण अधिक बढ़ी है।

7 निष्कर्ष एवं सुझाव

जमीनी स्तर पर योजना के व्यवस्थित क्रियांवयन में आ रही समस्याओं को जानने के लिये लाभांवितों के साथ एफ.जी.डी. (अध्ययन केन्द्रीत समूह चर्चा) आयोजित किये गये। एफ.जी.डी. में बहुत से तथ्य उभर कर सामने आये जैसे योजना के लाभार्थियों का चयन लौटरी से किया जाता है, जो बहुत ही अनियमित है। लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया में बहुत ही पक्षपात होता है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर योजना के कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता का अभाव है। इसके साथ ही महत्त्वपूर्ण बात यह उभर आई कि छोटे एवं सीमांत किसान खेत तलाई (फार्म पोंड) जैसे कार्यक्रमों में बहुत कम रुचि लेते हैं क्योंकि खेत तलाई (फार्म पोंड) एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें किसान की भूमि पर खेत तलाई का निर्माण किया जाता है, जिसमें किसान की 1–2 बीघा जमीन चली जाती है।

प्रमुख निष्कर्ष

- देश के करीब सभी राज्यों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष, 2007–08 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरु की गयी।
- राजस्थान में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु कृषि विभाग नोडल ऐजेंसी है। केन्द्र सरकार आर.के.वी.वाई. का बजट राज्य की नोडल ऐजेंसी (कृषि विभाग) को हस्तांरित करता है।
- नोडल ऐजेंसी (कृषि विभाग) राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों जैसे– कृषि, पशुपालन, उद्यान, सहकारिता, मछली पालन, जल संसाधन विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों आदि को योजना की बजट राशि हस्तांरित करता है।
- राज्य स्तर के कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग जिला स्तर पर अपने संबंधित विभागों को कोषागार के माध्यम से आर.के.वी.वाई. की राशि हस्तांतरित करते हैं। जिला स्तर पर कृषि एवं संबद्ध विभाग योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के लाभांवितों एवं ऐजेंसियों को राशि हस्तांतरित करते हैं।
- कुछ मामलों में आर.के.वी.वाई. का बजट राज्य स्तर से सीधा उपजिला स्तर के कार्यालय को हस्तांतरित किया जाता है, जैसे मृदा परिक्षण हेतु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु राज्य स्तर से राशि सीधी उपजिला कार्यालय को कोषागार के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का बजट राज्य से जिला स्तर, जिला स्तर से लाभांवितों एवं निम्न स्तर पर अन्य ऐजेंसियों को कोषागार के माध्यम से हस्तांरित होता है।
- राज्य में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर आर.के.वी.वाई. योजना के परियोजना निर्माण की प्रक्रिया व्यवहार में नहीं है। सामान्यतः राज्य में जिला स्तर पर ही आर.के.वी.वाई. के तहत योजनाएं बनाकर एवं मंजूर होने के बाद राज्य को प्रेषित की जाती हैं।

- योजना के अंतर्गत आयोजना निर्माण में निम्न से उच्च स्तर की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है।
- जिला एवं उप जिला कार्यालयों को योजना की राशि / बजट का देरी से आवंटन।
- जिला, उप जिला एवं निम्न स्तर पर भौतिक एवं मानव संसाधनों की कमी।
- लाभार्थियों के चयन की धीमी प्रक्रिया एवं चयन में राजनैतिक प्रभाव की अधिकता।
- योजना का अधिकतम व्यय वर्ष के अंतिम 3 माह (त्रैमास) में होता है।
- उप जिला एवं निम्न स्तर पर प्रशासनिक एवं प्रबंधन हेतु बजट का अभाव।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना हेतु दिशा निर्देशों का अभाव।
- आर.के.वी.वाई. योजना के कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर जागरुकता का अभाव।

सुझाव :

- जिला एवं उप जिला स्तर पर ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिये।
- जिला एवं उप जिला कार्यालयों को योजना के प्रशासनिक एवं प्रबंधन व्यय हेतु बजट आवंटित किया जाना चाहिये।
- उप जिला एवं निम्न स्तर पर व्यवस्थित डाटाबेस विकसित किया जाये।
- जमीनी स्तर पर जागरुकता बढ़ाने के साथ लाभांवितों के चयन की प्रक्रिया को तीव्र किया जाये।
- योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं समुदाय के नेतृत्वकर्त्ताओं के साथ ही इस योजना के क्रियांवयन में शामिल सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण दिये जाए।
- योजना के अन्तर्गत बजट आवंटन एवं आयोजना प्रक्रिया तीव्र की जाये।
- आर.के.वी.वाई. की आयोजना को पंचायत आयोजना से जोड़ा जाये।
- योजना के क्रियांवयन से जुड़े सभी विभागों में रिक्त पदों को यथाशिघ्र भरा जाये।
- योजना के कार्यक्रम मांग आधारित होने चाहिये न कि लक्ष्य आधारित।
- योजना के अन्तर्गत भूमि सुधार के लाभांवितों एवं दलितों तथा आदिवासियों के लिये विशेष कार्यक्रम निर्मित किये जाने चाहिये।

8. संदर्भ सूची

1. दिशा निर्देश, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, 2007
2. विस्तृत राज्य कृषि योजना (सी–सेप), कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
3. विस्तृत जिला कृषि योजना (सी–डेप), अलवर एवं झुंझुनु
4. 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रपत्र, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार
5. स्टेटिस्टीकल एब्स्ट्रेक्ट, राजस्थान, 2011
6. राज्य बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान, विभिन्न वर्ष
7. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, 2012–13, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
8. आर.के.वी.वाई. का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आर.के.वी.वाई. प्रकोष्ठ, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार
9. आर.के.वी.वाई. योजना के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, उप निदेशक, कृषि विभाग, अलवर, विभिन्न वर्ष
10. आर.के.वी.वाई. योजना के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, उप निदेशक, कृषि विभाग, झुंझुनु, विभिन्न वर्ष
11. मासिक / त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन, उप निदेशक, कृषि विभाग, अलवर, विभिन्न वर्ष
12. मासिक / त्रैमासिक प्रगति प्रगति प्रतिवेदन, उप निदेशक, कृषि विभाग, झुंझुनु, विभिन्न वर्ष
13. आर.के.वी.वाई. वेबसाईट (http://rkvy.nic.in)
14. वेबसाईट, राज्य कृषि विभाग, राजस्थान (http://www.krishi.rajasthan.gov.in)
15. डेटाशीट, योजना के राज्य एवं जिला स्तर की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के आंकड़ों हेतु
16. प्रश्नावली, राज्य एवं जिला एवं निम्न स्तर पर योजना से संबंधित गुणात्मक तथ्यों की जानकारी हेतु
17. योजना के लाभांवितों के साथ एफ.डी.जी. (अध्ययन केन्द्रीत समूह चर्चा)

9.अनुलग्नक

तालिका 1

राजस्थान में आर.के.वी.वाई. के बजट व्यय में विभिन्न विभागों का प्रतिशत भाग (वर्ष 2010–11 से 2012–13)

(राशि– लाख रु. में)

क्र. सं.	विभाग	2010–11		2011–12		2012–13	
		वास्तविक व्यय	कुल व्यय में विभाग का प्रतिशत	वास्तविक व्यय	कुल व्यय में विभाग का प्रतिशत	वास्तविक व्यय	कुल व्यय में विभाग का प्रतिशत
1	कृषि एवं एन.जी.ओ.	30308.16	49.24	20711.25	31.84	13204.66	30.02
2	वन	832.55	1.35	822.13	1.26	307.58	0.70
3	पशुपालन	934.15	1.52	614.14	0.94	474.66	1.08
4	आरएसएएमबी	2371.00	3.85	2000	3.07	1000	2.27
5	एमपीयूएटी, उदयपुर	1572.00	2.55	600	0.92	200	0.45
6	आरएयू, बीकानेर	1190.41	1.93	500	0.77	200	0.45
7	आरयूवीएएस, बीकानेर	0.00	0.00	1100	1.69	1287.51	2.93
8	उद्यान विभाग	6071.25	9.86	11621.88	17.87	7824.34	17.79
9	सहकारिता विभाग	8241.83	13.88	4000	6.15	2759.68	6.27
10	मत्स्य विभाग	78.10	0.13	86.87	0.13	48.96	0.11
11	राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन	5625.99	9.14	1094.5	1.68	0	0.00
12	उच्च शिक्षा (आरएसएएमबी)	100.00	0.16	0	0.00	0	0.00
13	जल संसाधन	3927.83	6.38	3384.91	5.20	410.56	0.93
1. कुल (विभाग)		***61553.27***	***100.00***	***46535.68***	***71.55***	***27717.95***	***63.02***
14	उप योजना						
अ	आर.ए.डी.पी.			3002.53	4.62	2995.75	6.81
ब	ए.एफ.डी.पी.			3824.55	5.88	3855.7	8.77
स	इनसीम्प			5457.93	8.39	6484.5	14.74

द	60000 दलहन गांव			4193	6.45	1006.24	2.29
य	सब्ज़ी संकुल			1056.44	1.62	82.79	0.19
र	प्रोटीन तत्व			973.56	1.50	1841.44	4.19
2. उप योजना कुल				***18508.01***	***28.45***	***16266.42***	***36.98***
कुल योग (1+2)		**61553.27**	**100.00**	**65043.69**	**100.00**	**43984.37**	**100.00**

स्रोत : आर.के.वी.वाई. प्रकोष्ठ, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार

तालिका 2

अलवर जिले का त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन

(राशि–लाख में)

माह / वर्ष	2010–11			2011–12			2012–13		
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान से व्यय का प्रतिशत	प्रावधान	व्यय	प्रावधान से व्यय का प्रतिशत	प्रावधान	व्यय	प्रावधान से व्यय का प्रतिशत
जून	85.49	2.12	2.48	114.50	0.00	0.00	168.01	0.00	0.00
सितम्बर	128.70	9.63	7.48	194.36	26.48	13.62	187.56	60.24	32.12
दिसम्बर	30.72	11.93	38.83	135.85	45.02	33.14	187.86	101.14	53.84
मार्च	71.93	53.80	74.79	165.08	84.36	50.79	181.86	132.15	72.67

स्रोत : त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन, उपनिदेशक कार्यालय, अलवर
नोट : प्रगति संबंधित माह तक

तालिका 3

झुंझुनु जिले का मासिक वित्तीय प्रतिवेदन, 2010–11

(राशि–लाख में)

माह	प्रावधान	आवंटन	व्यय	प्रस्तावित बजट से व्यय का प्रतिशत	आवंटित बजट से व्यय का प्रतिशत
अप्रेल से दिसंबर तक	उपलब्ध नहीं				
जनवरी	45.00	36.37	24.07	53.49	66.18
फरवरी	45.00	72.00	24.57	54.60	33.83
मार्च	51.00	40.00	32.53	63.78	81.33

स्रोत : मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर), उपनिदेशक कार्यालय, झुंझुनु, 2010–11
नोट : प्रगति संबंधित माह तक

तालिका 4

झुंझुनु जिले का मासिक वित्तीय प्रतिवेदन, 2011–12

(राशि–लाख में)

माह	प्रावधान	आवंटन	व्यय	बुकिंग	कुल व्यय	प्रस्तावित बजट से व्यय का प्रतिशत	आवंटित बजट से व्यय का प्रतिशत
अप्रेल से जून	उपलब्ध नहीं						
जुलाई	575.69	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
अगस्त	577.42	191.48	221.58		221.58	38	
सितम्बर	541.13	191.55	221.58		221.58	40.9	
अक्टूबर	531.31	173.23	136.13	101	237.13	44.6	
नवंबर	577.42	196.16	137.16	119.00	256.16	44	131
दिसंबर	470.47	336.43	252.15	11.00	263.15	56	78
जनवरी	नहीं प्रदान किया गया						
फरवरी	470.47	336.43	284.19	0	284.19	60.4	
मार्च	470.47	387.28	402.06		402.06	85.5	103.8

स्रोत : मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर), उपनिदेशक कार्यालय, झुंझुनु, 2011–12
नोट : प्रगति संबंधित माह तक

तालिका 5

झुंझुनु जिले का मासिक वित्तीय प्रतिवेदन, 2012–13

(राशि–लाख में)

माह	प्रावधान	आवंटन	व्यय	बुकिंग	कुल व्यय	प्रस्तावित बजट से व्यय का प्रतिशत	आवंटित बजट से व्यय का प्रतिशत
अप्रेल से जुलाई	उपलब्ध नहीं						
अगस्त	711.69	233.57	0.00	374.95	374.95	52.68	160
सितम्बर	737.21	354.74	0.90	375.07	375.98	51.00	106.00
अक्टूबर	737.21	354.74	0.90	406.87	407.8	55.3	114.94
नवंबर	737.21	381.17	58.90	382.18	441.08	59.83	115.72
दिसंबर	नहीं प्रदान किया गया						
जनवरी	737.21	600.07	548.44	67.85	616.29	83.60	102.70
फरवरी	नहीं प्रदान किया गया						
मार्च	737.21	665.37	657.25	0.00	657.25	89.15	98.73

स्रोत : मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर), उपनिदेशक कार्यालय, झुंझुनु, 2012–13
नोट : प्रगति संबंधित माह तक

तालिका 6

अलवर जिले में आर.के.वी.वाई. योजना में घटकवार बजट आवंटन एवं व्यय

(राशि–लाख में)

क्र. सं	कार्यक्रम / गतिविधि	2010–11			2011–12			2012–13		
		अनुमोदित बजट	व्यय	अनुमोदित बजट से व्यय का प्रतिशत	अनुमोदित बजट	व्यय	अनुमोदित बजट से व्यय का प्रतिशत	अनुमोदित बजट	व्यय	अनुमोदित बजट से व्यय का प्रतिशत
1	फार्म पोंड (खेत तलाई)	4	1.2	30.00	50	18.5	37.00	4.8	4.76	99.17
2	सुक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन	2	172	86.00	1.8	2.72	151.11	0.9	0.67	74.44
3	जैविक उर्वरकों का प्रचालन	3.67	0. 87	23.71	2.34	0	0.00	1.17	1	85.47
4	गुण नियंत्रण हेतु सामग्री वितरण	1.38	1. 38	100.00	3.65	3. 61	98.90	0.6	0. 68	113.33
5	ग्राम सेट प्रशिक्षण	1.05	1.05	100.00	1.64	0. 43	26.22	0.56	0. 29	51.79
6	समान दर पर जिप्सम वितरण	19	14.25	75.00	24.7	26.49	107.25	30	36.84	122.80
7	एग्रीसनेट कम्प्यूटर	1.4	0.97	69.29	0.33	0.19	57.58	0.52	0. 48	92.31
8	फील्ड अधिकारियों की गतिशीलता	7.75	0.74	9.55	18.34	0	0.00	0.4	0. 39	97.50

9	संविदा सेवाएं	31.58	31.52	99.81	40	19.05	47.63	0.7	0.68	97.14
10	किसान कॉल सेंटर का प्रचार	0.1	0.1	100.00	0.2	0.2	100.00	0.2	0.2	100.00
11	सी–डेप	–	–	–	22.08	13.17	59.65	1	0.31	31.00
12	मृदा प्रयोगशालाओं का विविध व्यय	–	–	–	–	–	–	1.2	1.2	100.00
13	एएफडीपी	–	–	–	–	–	–	67.45	19.51	28.93
14	इनसीम्प	–	–	–	–	–	–	72.36	65.14	90.02
कुल		71.93	53.8	74.79	165.08	84.36	51.10	181.86	132.15	72.67

स्रोत : वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (एपीआर), उपनिदेशक कार्यालय, अलवर, विभिन्न वर्ष

तालिका 7

झुंझुनु जिले में आर.के.वी.वाई. योजना में घटकवार बजट आवंटन एवं व्यय

(राशि–लाख में)

कार्यक्रम	2010–11			2011–12			2012–13		
	अनुमोदित बजट	व्यय	अनुमोदित बजट से व्यय का प्रतिशत	अनुमोदित बजट	व्यय	अनुमोदित बजट से व्यय का प्रतिशत	अनुमोदित बजट	व्यय	अनुमोदित बजट से व्यय का प्रतिशत
फार्म पोंड (खेत तलाई)	0	0	0	50	7.94	15.88	0	0	0.00
जल हौज	10	10	100	22.5	20	88.89	0	9	–
इनसीम्प	–	–	0	307.06	268.19	87.34	479.33	475.63	99.23
जिप्सम वितरण	4.5	11	244.44	11.6	3.94	33.97	12.69	10.58	83.37
एएफडीपी	–	–	0	55.76	73.57	131.94	34.41	22.47	65.30

स्रोत : वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (एपीआर), उपनिदेशक कार्यालय, झुंझुनु, विभिन्न वर्ष

तालिका 8

अलवर जिले में आर.के.वी.वाई. योजना की भौतिक प्रगति (2010–11 से 2012–13)

कार्यक्रम / गतिविधी	2010–11			2011–12			2012–13		
	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना									
फार्म पोंड (खेत तलाई)	10	3	30.00	100	37	37	35	27	77.14
सुक्ष्म पोषक तत्व वितरण	1000	1200	120.00	900	900	100	450	450	100.00
कल्चर वितरण	135000	32000	23.70	0	0	0	0	0	0.00
गुण नियंत्रण हेतु सामग्री वितरण	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
मृदा परीक्षण	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
जिप्सम वितरण	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
एग्रीसनेट कम्प्यूटर	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
खड़ी फसलों में दीमक नियंत्रण	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
गेंहुं के बीजों का वितरण	43400	6303	14.52	0	0	0	0	0	0.00
किसान कॉल सेंटर का प्रचार	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
पाईप लाईन				100	85	85	0	0	0.00
जैविक खादों का प्रचलन							35500	32457	91.43
कुल	179410	39506	22.02	1100	1022	92.91	35985	32934	91.52
ए.एफ.डी.पी. (त्वरित चारा विकास कार्यक्रम)									
बेरसीम चारा क्लस्टर (0.1 हैक्टेयर)				1	1	100.00	1	1	100
जायद ज्वार / बाजरा चारा क्लस्टर (0.1 हैक्टेयर)				15000	5000	33.33	19	19	100
दरांती उपकरण							4600	4668	101.48
सेलाज उपकरण							2	0	0
चॉफ कटर हस्त संचालित उपकरण							1400	791	56.5
चॉफ कटर बिजली संचालित उपकरण							300	32	10.67
इनसीम्प (पोषण सुरक्षा के लिए सघन कदन्न (मोटे अनाज) संवर्द्धन योजना)									

ज्वार क्लस्टर प्रदर्शन (1000 हैक्टेयर)				2	2	100.00	3	3	100
कुल योग	179410	39506	22.02	16103	6025	37.42	36008	32957	91.53

स्रोत : वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (एपीआर), उपनिदेशक कार्यालय, अलवर, विभिन्न वर्ष

तालिका 9

झुंझुनु जिले में आर.के.वी.वाई. योजना की भौतिक प्रगति (2010–11 से 2012–13)

कार्यक्रम	2010–11			2011–12			2012–13		
	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्रगति	प्रतिशत
फार्म पोंड (खेत तलाई)	0	0	0	100	16	16.0	0	0	0.00
जल हौज	20	20	100	45	40	88.9	20	15	75.00
इनसीम्प			0	14	14	100.0	17000	16969	99.82
जिप्सम वितरण	700	1623	231.86	1800	489	27.2	2200	1360	61.82
एएफडीपी			0.00	12	7	58.3	9	9	100.00
कार्यक्रम			0.00	0	0	0.0	3000	3000	100.00
कुल	720	1643	228.19	1971	566	28.7	22229	21353	96.06

स्रोत : वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (एपीआर), उपनिदेशक कार्यालय, झुंझुनु, विभिन्न वर्ष

बार्क के अन्य प्रकाशनों की सूची

शीर्षक	Title in English	प्रकाशन तिथि
दक्षिणी राजस्थान में शिक्षा का अधिकार : एक अध्ययन	Right To Education In Southern Rajasthan : A Study	फरवरी, 2012
बजट को वंचित समुदायों की हकदारी से जोड़ने के प्रयास	Linking Budgets To The Concerns Weaker Sections	2012
राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति	Rajasthan : A Study of State Finances	फरवरी, 2012
भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : मुख्य परिणाम	Transparency in State Budget in India : Summary Fact Sheet	2011
भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : राजस्थान	Transparency in State Budget in India : Rajasthan	2011
बजट अध्ययनः एक परिचय	Budget Study: An Introduction	अगस्त, 2010
राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं सम्बन्धित योजनाएं : एक अध्ययन	Food Security and Related Schemes in the State: A Study	अगस्त, 2010
कृषि ऋण–कितना सार्थक ?	Agriculture Loan: How Good	जून, 2010
लुप्त होती लघुवन उपज : खतरे में आदिवासी आजिविका	Depleting Mining Forest Produce: Threat to Tribal Livelihood	दिसम्बर, 2009
दलितों के लिए राज्य की कल्याणकरी योजनाएं	State's Welfare Schemes for Dalits	जून, 2009
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून : क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता	NREGA: Need of Reform in Implementation	दिसम्बर, 2008
स्वजलधारा : व्यर्थ बहा जनता का पैसा	'Swajal Dhara': People's Money Drained	जुलाई, 2008
ग्रामीण लघु उद्योग क्षेत्र में सरकारी प्रयासों की कथनी–करनी : एक नजर	Reality of Government Efforts in Small Industry Sector: A Study	अप्रेल, 2008
सरकारी विकास योजनाऐं और आम आदमी तक उनकी पहुंचः एक आंकलन	Government Development Schemes and their reach to common People: An Assessment	दिसम्बर, 2007
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राज्य के बजट से)	Spending on Social Sector (From State Budget)	मार्च, 2007
राजस्थान में विधवाओं का अभावग्रस्त जीवन : राज्य ने क्या भूमिका निभाई?	The Destitution of Widows in Rajasthan: What role has the state played?	फरवरी, 2007
स्थानीय स्तर पर लिंग आधारित बजट (जैण्डर बजट) : कैसे करेंगे पैरवी	Gender Budget at State Level: How to do Advocacy	दिसम्बर, 2006
दलित, गरीब तथा वंचित लोगों के लिए समाज कल्याण, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग एवं खाद्य–नागरिक आपूर्ति विभाग की कल्याणकारी योजनाएं	Welfare Schemes for Dalits, Poor and Marginalised	नवम्बर, 2006
राजस्थान में फसल बीमा : सुधार की आवश्यकता	Crop Insurance in Rajasthan: Need of Improvement	सितम्बर, 2006
बजट की तकनीकी शब्दावली	Budget Terminologies	सितम्बर, 2006
दलित एवं आदिवासियों के लिए बजट एवं योजनाएं	Budget and Schemes for Dalits and Tribals	नवम्बर, 2005
गरीबी हटाओ अभियानः कितना सफल–कितना असफल	'Gharibi Hatao': How Successful	

बार्क टीम : नेसार अहमद
महेन्द्र सिंह राव
भूपेन्द्र कौशिक
सुचेता शर्मा
बरखा माथुर
निधि निर्वाण
अंकुश वर्मा

सलाहकार : डॉ. जिनी श्रीवास्तव

"Budget Links Policy to People and People to Policy"

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)
फोन / फैक्स : 0141 – 238 5254
ई–मेल : info@barcjaipur.org
वेबसाईट : www.barcjaipur.org

Design & Printed by : www.printmediaservices.in # 9928444668